इण्डियन वक़्फ़ सर्विस स्थापित होने से ही वक़्फ़ की अव्यवस्था दूर होगी

डा. सैयद ज़फ़र महमूद

ज़रा सोचें कि यदि देश के किसी ज़िले में ज़िला अधिकारी की जगह कोई जानवरों का डाक्टर या प्राइमरी स्कूल का कोई रिटायर्ड टीचर बैठा दिया जाए तो उस ज़िले की व्यवस्था कैसी होगी। अन्य ज़िलों में नियुक्त ज़िला अधिकारी उस से किस तरह का सम्बंध रखना पसन्द करेंगे। राज्यों के प्रिंसिपल सेक्रेट्री लोगों की नज़र में उसका महत्तव क्या होगा। इन सब बातों का ज़िले की व्यवस्था पर क्या प्रभाव पडेगा। ज़ाहिर है कि ज़िले में अव्यवस्था होगी और उन्नति के बजाए अवनति होगी।

यही स्थिति राज्यों में स्थापित वक़्फ़ बोर्डों की है। वहां रोज़ाना आठ घण्टे से ज़्यादा का काम सी. ई. ओ. साहब संभालते हैं। तमाम वक़्फ़ सम्पत्तियों के सदुपयोग को सुनिश्चित करना, उनकी देख-रेख करना, जिन वक़्फ़ सम्पत्तियों पर नाजायज़ क़ब्ज़े हैं उन्हें मुक्त कराना, जिन सम्पत्तियों के मुक़दमे वक़्फ़ ट्रीबुनल में चल रहे हैं उनकी पैरवी करवाना, वक़्फ़ सम्पत्तियों को लीज़ पर देना, प्रांतीय एंव ज़िला स्तर पर तमाम सरकारी विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों से सम्पर्क रखना आदि, यह सारे काम सी. ई. ओ. को करने होते हैं। क्या यह माना जा सकता है कि यदि किसी एसे व्यक्ति को सी. ई. ओ. बना दिया जाए जिस ने यह सारे काम करने का कोई प्रशिक्षण कभी न लिया हो, इस काम का उसे कोई अनुभव न हो, सम्बंधित क़ानूनों की उसे जानकारी न हो, क़ानूनी पैचीदगियों को समझने की क्षमता उसमे न हो, वक़्फ़ के दस्तावेज़ों को पढ़ना उसे आता न हो, सरकारी अधिकारी उसे महत्तव न देते हों, फिर भी वह व्यक्ति यह सारे काम कुशलता पूर्वक कर लेगा? ज़ाहिर है कि एसा सोचना ग़लत होगा।

लेकिन सत्य यह है कि देश के तमाम वक़्फ़ बोर्डों की स्थिति एसी ही है। वक़्फ़ बोर्डों में सी. ई. ओ. के पद पर या तो ग़ैर सरकारी व्यक्ति नियुक्त होते हैं जैसे जानवरों के डाक्टर, प्राइमरी सकूल टीचर और रिसर्च स्कॉलर आदि या कभी कभार किसी वक़्फ़ बोर्ड में वरिष्ठ अधिकारी नियुक्त होते भी हैं तो उनके पास प्रायः वक़्फ़ बोर्ड का अतिरिक्त प्रभार होता है। और यह बात स्पष्ट है कि जब किसी अधिकारी के पास किसी पद का अतिरिक्त प्रभार होता है तो भी अपनी ड्यूटी के आठ घण्टे तो वह अपने पूर्णकालिक पद पर ही लगाता है उसके बाद थोडा सा समय अतिरिक्त प्रभार पर निकालता है। यही कारण है कि पूरे देश में वक़्फ़ प्रबंधन अव्यवस्था से दो-

चार है। मेरी इस बात को अच्छी तरह समझने के लिए आवश्यक है कि यह पता लगाया जाए कि कम से कम 10 साल की किसी अवधि में कुल अट्ठाईस वक़्फ़ बोर्डों में कौन कौन लोग कब कब सी. ई. ओ. रहे हैं और इस पद पर आसीन होने से पहले उनका व्यवसायिक स्तर क्या था। सच्चर कमेटी ने 2005 में पूरे देश से यह जानकारियां एकत्र की थीं। उसके छ साल बाद 2011 में ज़कात फ़ाउण्डेशन ऑफ़ इण्डिया ने सूचना के अधिकार क़ानून के माध्यम से सम्बंधित जानकारियां तमाम वक़्फ़ बोर्डों से 2001 से 2011 के दशक की अवधि के लिए प्राप्त कीं। इन समस्त लिखित और प्रमाणित जानकारियों के आधार पर यह बात सामने आई है कि अट्ठाईस राज्य वक़्फ़ बोर्डों में इन दस सालों में कुल 98 लोगों ने तीन, तीन साल सी. ई. ओ. के रूप में काम किया है। इनमें से केवल तीन वरिष्ठ अधिकारी पूर्णकालिक थे, पांच सरकारी अधिकारियों के पास अतिरिक्त प्रभार था और शेष नव्वे व्यक्ति या तो ग़ैर सरकारी लोग थे या उनमें कुछ लोग बहुत निम्न स्तर के सरकारी कर्मचारी थे। इस तथ्य को और प्रमाणित करते हुए राज्य सभा के उप सभापति श्री के. रहमान ख़ां के नैतृत्व वाली संयुक्त संसदीय समिति ने 2008 की अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने जे. पी. सी. के समक्ष अपनी चिंता व्यक्त करते हुए बताया कि वक़्फ़ बोर्डों में सी. ई. ओ. की नियुक्ति के लिए मुसलमान अधिकारी उपलब्ध नहीं होते हैं क्यूंकि राज्य में मुस्लिम अधिकारियों का अभाव है। इसी वजह से अनुभवहीन, अयोग्य, ग़ैर-सरकारी व्यक्तियों को सी. ई. ओ. नियुक्त करना पङता है।

इस बात के मद्देनज़र सच्चर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि “एसा पाया गया है कि वक़्फ़ बोर्ड का सी. ई. ओ. प्रायः राज्य की अफ़सरशाही के श्रेणी क्रम में उच्च स्तर का नहीं होता है जिसकी वजह से वक़्फ़ बोर्ड को नुक़सान पहुंचता रहता है। इस लिए यह ज़रूरी है कि सी. ई. ओ. पूर्णकालिक तथा राज्य सरकार की ब्यूरोक्रेसी में उच्च स्तर के अधिकारियों के समान हो। बहतर यह होगा कि ऑल इण्डिया या केन्द्रीय सेवाओं से सम्बंधित अधिकारी (डेपुटेशन पर) वक़्फ़ बोर्ड का सी. ई. ओ. बनाया जाए। कङी आवश्यकता है कि राज्य वक़्फ़ बोर्डों तथा सेण्ट्रल वक़्फ़ काउंसिल के प्रबंधन के लिए अधिकारियों का एक नया काडर (विशेष रूप से प्रशिक्षत अधिकारी) गठित किया जाए। इन अधिकारियों को इस्लामी क़ानून तथा उर्दू से अवगत होना आवश्यक है क्यूंकि वक़्फ़ से सम्बंधित अधिकांश प्रपत्र इसी भाषा में हैं।”

लेकिन देश व्यापी सर्वे और गहन अध्यन व छानबीन के बाद सच्चर कमेटी द्वारा दिए गए इस सुझाव को सरकार ने रद्द कर दिया। ज़कात फ़ाउण्डेशन ऑफ़ इण्डिया ने सूचना के अधिकार

क़ानून के अन्तर्गत अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय से पूछा कि (अ) इस नामंज़ूरी का कारण क्या है तथा (ब) सरकार ने राज्य वक़्फ़ बोर्डों में सी. ई. ओ. नियुक्त करने के लिए वरिष्ठ मुस्लिम अधिकारियों की उपलब्धता को सुनिश्चत करने की क्या वैकल्पिक व्यवस्था निर्धारित की है। पहले सवाल के जवाब में मंत्रालय ने लिखा कि वह यह बताने में अक्षम है कि सरकार ने सच्चर कमेटी की यह महत्तवपूर्ण सिफ़ारिश क्यूं रद्द कर दी, क्योंकि यह विषय "सूचना" की परिभाषा में नहीं आता है। दूसरे सवाल के जवाब में मंत्रालय ने लिखा कि मामला विचाराधीन है। लेकिन पिछले पांच साल में मंत्रालय अभी तक कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं बना पाया है जिस से यह सुनिश्चित हो जाए कि तमाम राज्यों के वक़्फ़ बोर्डों में सी. ई. ओ. नियुक्त करने के लिए वरिष्ठ मुस्लिम अधिकारी उपलब्ध रहेंगे। इस बीच मामले को आगे बढ़ाते हुए ज़कात फ़ाउण्डेशन ने सेण्ट्रल इन्फ़ार्मेशन कमीशन के समक्ष अपील दायर कर दी। वहां से मंत्रालय को निर्देश मिला कि ज़कात फ़ाउण्डेशन ऑफ़ इण्डिया को मंत्रालय सम्बंधित फ़ाइल का अवलोकन कराए और उसे हर उस पत्र व प्रपत्र की नक़ल उपलब्ध कराई जाए जिस की वह मांग करें। इस अवलोकन का नतीजा क्या निकला यह आगे पढ़िए।

ज़कात फ़ाउण्डेशन की टीम ने पाया सच्चर कमेटी की उक्त सिफ़ारिश से सम्बंधित फ़ाइल पर एक कार्यकारी उप सचिव (डिप्टी सेक्रेट्री) श्री वीरेन्द्र सिंह के द्वारा यह टिप्पणी लिखी हुई है कि "एसा करना व्यवहारिक नहीं है"। बस इसी आधार पर मंत्रालय द्वारा तैयार कैबिनेट नोट में यह पंक्ति लिखी गयी कि "वक़्फ़ के लिए अलग सर्विस काडर की सिफ़ारिश नहीं की जाती है"। डिप्टी सेक्रेट्री वीरेन्द्र सिंह के उपरोक्त नोट और इस एक पंक्ति के केबिनेट नोट के अलावा अल्पसंख्यक मंत्रालय तथा सरकार के पास कोई और रिकॉर्ड एसा नहीं है जिस से यह साबित हो कि यह मामला किसी उच्च स्तर पर भी कभी विचाराधीन आया हो।

इस बीच वक़्फ़ विधियक 2010 लोकसभा में 7 मई 2010 को जुमे के दिन 1 बजे पेश हुआ और बडी जल्दबाज़ी में पास कर दिया गया। हालांकि लोकसभा के मुस्लिम सदस्यों के एक ग्रूप ने प्रधानमंत्री से लिखित रूप में यह अनुरोध किया था वक़्फ़ विधियक लोकसभा में पेश करने से पहले उन्हें दिखाया जाए। इस पत्र की एक प्रति अल्पसंख्यक मंत्रालय को भी पहले ही दे दी गयी थी। बाद में एक अवसर पर जब एक मुस्लिम प्रतिनिधि मण्डल ने प्रधानमंत्री से वक़्फ़ काडर की बात कही तो उन्हों ने पी. एम. ओ. के सेक्रेट्री श्री एम एन प्रसाद की तरफ़ देखा, जिन्होंने तुरन्त एक छोटे से वाक्य में इस सुझाव को बिना किसी तर्क के नकार दिया और बात

वहीं समाप्त हो गयी, हालांकि सेक्रेट्री साहब की तर्कहीन बात को युक्तिपूर्वक रद्द किया जा सकता है।

वक़्फ़ सर्विस काडर गठित करने के मामले में सरकार के रवैये को देखते हुए ज़कात फ़ाउण्डेशन ने इस मामले को मीडिया के द्वारा मिल्लत और उसके हितेषियों के सामने उठाना शुरू किया। इस पर अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री जनाब सलमान ख़ुर्शीद साहब ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने *टाइम्स ऑफ़ इण्डिया* की श्रीमति आवन्तिका घोष को 30 जून 2011 को बयान दिया कि "हम वक़्फ़ काडर का विरोध करते हैं क्यूंकि हम अपने देश में मुस्लिम नागरिकों के लिए अलग दुनिया नहीं बनाना चाहते।" *टू सर्किल डाट नेट* के श्री मुहम्मद अली को उन्होंने यह बयान दिया कि "यदि मुसलमानों के लिए सरकारी अधिकारियों का अलग काडर हो तो फिर गेटुआइज़ेशन और किसे कहते हैं?" याद रहे कि गेटु जर्मनी की उन बस्तियों को कहा जाता था जहां 1939 से 1944 के बीच सामूहिक रूप से मारे गए यहूदियों को मारने से पहले बसाया गया था। बाद में यह शब्दावली दुनिया में मोटे तौर पर कुछ ख़ास तरह की सामाजिक स्थितियों के लिए उपयोग होने लगी, जैसे कि शहरों में सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े व वंचित लोगों की अलग थलग बस्तियां। सलमान साहब की बात का मतलब यह निकला कि देश में किसी धर्म विशेष के लोगों के लिए अलग सर्विस काडर नहीं बनाया जा सकता।

इसके बाद ज़कात फ़ाउण्डेशन ने पचास पेज की एक पुस्तिका प्रकाशित और वितरित की जिस का शीर्षक था "हिन्दू एण्डोवमेण्ट्स सर्विस की तरह इण्डियन वक़्फ़ सर्विस गठित की जाएः मुसलमानों के साथ भेदभाव न किया जाए"। इस पुस्तिका में विभिन्न राज्यों के एसे क़ानूनों का हवाला दिया गया है जिनके अन्तर्गत राज्यों में वर्षों से हिन्दू मन्दिरों और एण्डोवमेण्ट्स की देख-रेख के लिए अलग सर्विस काडर मौजूद है जिसमें शामिल होने के लिए आवेदक का हिन्दू होना क़ानूनी शर्त है। इस विशेष हिन्दू काडर की भर्ती राज्यों के पब्लिक सर्विस कमीशनों द्वारा ही की जाती है, राज्य के सरकारी ख़ज़ाने से उन्हें वेतन मिलता है और सरकारी आवास उन्हें दिए जाते हैं। दूसरी तरफ़ वाराणसी के काशी विश्वनाथ ट्रस्ट के क़ानून के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार के पांच प्रिंसिपल सेक्रेट्री, वाराणसी के मण्डलायुक्त और वाराणसी के ज़िला अधिकारी इस ट्रस्ट के सदस्य और पदाधिकारी होते हैं। क़ानूनी रूप से इन सब का हिन्दू होना अनिवार्य है। क़ानून में लिखा है कि इन अधिकारिक पदों में से किसी पर यदि किसी कोई ग़ैर-हिन्दू नियुक्त है तो उसके निकटमत निचले पद पर नियुक्त हिन्दू अधिकारी उसकी जगह ट्रस्ट का

सदस्य होगा। इस पुस्तिका को समस्त सम्बंधित लोगों, सांसदों, नेताओं, मीडिया और बड़ी बड़ी लाएब्रेरियों को भेजा गया। इस तर्कसंगत जवाब के बाद अल्पसंख्यक मंत्रालय की ओर से इस सम्बंध में कोई बयान नहीं दिया गया।

इस बीच राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष श्री वजाहत हबीबुल्लाह ने 30 नवम्बर 2011 को अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री को पत्र भेजा जिस में उन्होंने लिखा किः "मैं आप को ज़कात फ़ाउण्डेशन ऑफ़ इण्डिया से प्राप्त पत्र दिनांक 29 सितम्बर 2011 भेज रहा हूं जिस में उन्होंने एक नया काडर बनाने का सुझाव दिया है जिसके अधिकारियों को इस्लामी क़ानून और उर्दू की जानकारी हो। यब बात सब मानते हैं कि कुछ अपवादों को छोड़ कर वक़्फ़ सम्पत्तियां और उनसे अर्जित धन अव्यवस्था का शिकार हैं, जबिक इस का लाभ ज़रूरत मन्द लोगों को पहुंचना चाहिए। अतः यह मुद्दा सच्चर कमेटी के लिए चिंता का विषय बना। यह भी मानने वाली बात है कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पर देश में कोई आपत्ति भी नहीं हुई है। अतः 22 नवम्बर को अपनी मीटिंग में अल्पसंख्यक आयोग ने निर्णय लिया है कि वक्फ़ के लिए एक अलग काडर बनाने के सच्चर कमेटी के प्रस्ताव का अनुमोदन और समर्थन किया जाए। यह आयोग सिफ़ारिश करता है कि सामुदायिक भेदभाव रहित एक अखिल भारतीय वक़्फ़ सेवा गठित की जाए।"

इस से पहले 31 जुलाई 2011 को राज्य सभा के उप सभापति श्री के. रहमान ख़ां ने भी *टू सर्किल्स डाट नेट* को बयान दिया कि सेण्ट्रल वक़्फ़ काउंसिल के अन्तर्गत वक़्फ़ अधिकारियों का नया काडर गठित किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि अलग वक़्फ़ काडर बनाने का कोई सम्बंध साम्प्रदायिक अलगाववाद या गेटुआइज़ेशन से नहीं है।

इन तमाम बातों के बावजूद वक़्फ़ सर्विस का गठन अभी तक इस लिए नहीं हो पा रहा है कि करोड़ों लोगों की यह मिल्लत और मिल्लत के बुज़ुर्ग अपेक्षित ध्यान नहीं दे रहे हैं। जबकि लाखों की संख्या में देश भर में मौजूद वक़्फ़ सम्पत्तियां पुकार रही हैं किः ख़ाक हो जाएंगे हम तुम को ख़बर होने तक